

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2025/1655

लखनऊ: दिनांक: 30/05/2025

विषय: सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया, परिषद कार्यालय के पत्र सं०: प्राशिप/परिषद/2025/1630, दिनांक: 29.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त पत्र में टंकण त्रुटि के कारणवश यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2025-26 हेतु (रु० पचास हजार + जी०एस०टी०) दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। जबकि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 95/2024/आई/694626 / 2024/16-3099/156/2019, दिनांक: 19 जुलाई, 2024 के द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क निर्धारित किया गया है:-

मद/कार्य	निर्धारित शुल्क रुपये में
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु० 25000+जी०एस०टी० (रु० पच्चीस हजार मात्र+जी०एस०टी०) प्रति पाठ्यक्रम

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु० 25000+जी०एस०टी० (रु० पच्चीस हजार मात्र+जी०एस०टी०) प्रति पाठ्यक्रम पढ़ा जाए।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2025/1656-61

तददिनांक: 30/05/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2025/1630

लखनऊ: दिनांक: 29/05/2025

विषय: सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ के पत्र सं०: 260/संप्रप/परी०अनु०-(प्रवेश क्षमता)/2025, दिनांक: 29.05.2025 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं की वास्तविक स्वीकृत प्रवेश क्षमता दिनांक: 16.06.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक: 30.05.2025 से 10.06.2025 तक प्रत्येक दशा में यूआईजे पोर्टल पर अपनी संस्था के su login के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2025-26 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्गत अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना तथा यू-आईजे पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2025-26 हेतु (रु० पचास हजार + जी०एस०टी०) दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि 10.06.2025 तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूआईजे पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन/ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:- यदि शासन के निर्देशानुसार आपको सम्बद्धता विस्तार अगले आदेशों तक के लिए जारी किया जाता है तो सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रत्येक शैक्षिक वर्ष हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2025/1631-36

तददिनांक: 29/05/2025

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी यूआईजे पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव